**म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल**
चतुर्थ एवं पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016
फोन–0755–2464643, फैक्स– 2430158
वेबसाईट : www.mperc.org ई–मेल : secmperc@sancharnet.in

---

क्रमांक : 617 / म.प्र. विनिआ / संचा(एलएण्डआर) / 2010 /                    भोपाल, दिनांक / 10.3.3010

## : सार्वजनिक सूचना :

विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 सहपठित धारा 45(3) (बी) एवं 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा म.प्र. राजपत्र में दिनांक 7 सितम्बर, 2009 को अधिसूचित मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 में निम्न संशोधन किया जाना प्रस्तावित करता है। उक्त विनियम में संशोधन का प्रारुप आयोग की वैबसाईटः **www.mperc.org** पर उपलब्ध है।

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 181 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वे व्यक्ति जो उक्त रुप पर अपने सुझाव / आपत्तियां / टीप प्रस्तुत करना चाहें, वे लिखित में इन्हें आयोग सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, चतुर्थ एवं पंचम तल, **मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016** को अन्तिम **दिनांक 31.3.2010** तक भेज सकते हैं। सुझाव / आपत्तियां / टीप ई–मेल पते **secmperc@sancharnet.in** अथवा फैक्सः 0755–2430158 द्वारा भी प्रस्तुत किये जा सकते है। इच्छुक व्यक्तियों द्वारा उपरोक्त पत्र के अंग्रेजी संस्करण की प्रति किसी भी कार्यालयीन दिवस को दिनांक **11.3.2010** से **31.3.2010** तक प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे के मध्य आयोग कार्यालय से रु. 10 / – (प्रति सेट) के नगद भुगतान द्वारा अथवा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल को देय डिमांड ड्राफ्ट के भुगतान द्वारा प्राप्त की जा सकती है । यह प्रति डाक द्वारा रु. 40 / – के भुगतान द्वारा (रु. 10 / – प्रति सेट की दर से + रु. 30 / – डाक व्यय हेतु) भी प्राप्त की जा सकती है । आयोग द्वारा दिनांक 13.4.2010 को प्रातः 11.30 बजे आयोग के कार्यालय में जन सुनवाई की जायेगी ।

**आयोग के आदेशानुसार,**

**आयोग सचिव**